आवेदक द्वारा घोषणा

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... (नाम) घोषणा करता/करती हूं कि :–

1. मैंने आर.टी.ई.टी. परीक्षा 2013 से संबंधित नियमों के लिए निर्धारित सामान्य निर्देशों का अध्ययन कर लिया है। जिनकी पालना करने के लिए मैं बाध्य हूँ।
2. मैं किसी भी स्थिति में जमा शुल्क लौटाने के लिए नहीं कहूँगा/कहूँगी।
3. मुझे किसी भी अपराधिक कृत्य के लिए किसी भी न्यायालय ने कभी दण्डित नहीं किया है।
4. (अ) किसी गलती या विवाद की स्थिति में पहले मैं प्रकरण संबंधी पूर्ण वस्तुस्थिति के साथ आर.टी.ई.टी. परीक्षा 2013 कार्यालय में प्रतिवेदन भेजूंगा/भेजूंगी और 60 दिवस में मामले का निस्तारण न होने के पश्चात् ही न्यायालय से न्याय प्राप्ति हेतु कार्यवाही करूंगा/करूंगी। किसी विधिक वाद की स्थिति में न्यायिक कार्य क्षेत्र केवल अजमेर स्थित न्यायालय का ही होना मुझे स्वीकार है।
   (ब) यदि मैंने अकारण अथवा वास्तविक तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर समन्वयक कार्यालय के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद दायर किया तो समन्वयक को समुचित मुआवजा देने को बाध्य होऊँगा/होऊँगी।
   (स) न्यायालय में दायर सभी विवादों के लिए न्यायिक अधिकार अजमेर शहर स्थित न्यायालय का ही होगा।
5. मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना दिनांक 23, अगस्त 2010 सपठित (29 जुलाई 2011) के संशोधित मापदण्डानुसार, NCTE की Guidelines व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार परीक्षा की पात्रता रखता/रखती हूँ।
6. अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बन्धित आय प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं है।
7. आवेदन पत्र मे कमी, त्रुटि होने, तथ्य छिपाने, गलत तथ्य देने की वजह से आवेदन पत्र/पात्रता नहीं रखने पर किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने हेतु मेरी सहमति है।
8. **मैं स्वयं परीक्षा प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाईट www.examrtet.rajasthan.gov.in से डाउनलोड करूंगा/करूंगी ।**
9. **मैं डाऊनलोड किया हुआ आवेदन–पत्र, घोषणा पत्र, शपथ–पत्र एवं सम्बन्धित दस्तावेज स्वयं के पास सुरक्षित रखूंगा/रखूंगी, जिन्हें कार्यालय द्वारा मंगवाये जाने पर निर्देशानुसार जमा करा दूँगा/ दूँगी।**
10. मेरे मूल दस्तावेजों का अन्तिम सत्यापन नियुक्ति देने वाली संस्था द्वारा किया जायेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या कमी अथवा कोई तथ्य गलत पाया जाये तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
11. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि इस परीक्षा में निर्धारित पात्रता प्राप्त होने से ही मुझे अध्यापक पद पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
12. **मुझे यह जानकारी है कि मैं आर.टी.ई.टी. में पात्रता प्राप्त करने के बावजूद सम्बन्धित शिक्षक पाठ्यक्रम (बी.एस.टी.सी./बी.एड./समकक्ष पाठ्यक्रम) उत्तीर्ण होने पर ही राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षा हेतु आवेदन हेतु पात्र माना जाऊँगा/ जाऊँगी।**
13. मैं इस तथ्य से भलिभांति अवगत हूँ कि मेरे किसी भी दस्तावेज का इस परीक्षा से पूर्व सत्यापन नहीं किया गया है। समस्त वांछित मूल दस्तावेज मैं नियुक्ति के समय नियोक्ता संस्था के समक्ष प्रस्तुत कर दूँगा/दूँगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्थान :.................................... **नाम :**
दिनांक :.................................... **पता :**
फोन नम्बर मय कोड :....................................
मोबाईल नम्बर :....................................

संलग्नकों की सूची

R.T.E.T-2013 परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपने मूल ऑनलाईन आवेदन–पत्र, घोषणा–पत्र तथा शपथ–पत्र एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतियां कार्यालय समन्वयक द्वारा बाद में घोषित विशेष चिन्हित नोडल केन्द्रों पर जमा करवाई जाएंगी। अतः इस सम्बन्ध में सूचना समाचार–पत्रों के माध्यम से यथासमय प्रकाशित करवा दी जायेगी।

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण–पत्र का नाम	संलग्न सं.
1	मूल आवेदन–पत्र	
2	घोषणा–पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
3	शपथ–पत्र (उपरोक्त निर्धारित प्रारूप में)	
4	सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
5	सीनियर सैकण्डरी / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
6	स्नातक / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
7	बीएसटीसी / बी.एड. / समकक्ष की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति।	
8	मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।	
9	जाति प्रमाण–पत्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की प्रमाणित प्रति। नोट :– अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए 6 माह से अधिक पुराना ना हो।	
10	शारीरिक विकलांगता प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रति) (Under Clasuse (1) of section 2 of the Persons with disabilities (Equal Opportunities Protection of Rights and Full Participation) Act. 1995)	
11	विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ–पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति।	
12	तलाकशुदा होने पर न्यायालय निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति।	
13	अभ्यर्थी के वर्तमान में उपरोक्त शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होने का प्रमाण–पत्र (संस्था प्रधान द्वारा जारी)	
14	अन्य	
	कुल संलग्नकों की संख्या	